56

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1919–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–6–16 एवं 10–6–16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तराना जिला उज्जैन प्रकरण कमांक 20/अपील/2015–16.

1– नर्मदाबाई उर्फ निर्मलाबाई
पिता हीरासिंह राजपूत रघुवंशी
द्वारा आम मुख्तयार
सुनील कुमार पिता देवीसिंह राजपूत रघुवंशी
2– सुनील कुमार पिता देवीसिंह राजपूत रघुवंशी
निवासीगण ग्राम सुमराखेड़ा
तहसील तराना जिला उज्जैन ....आवेदकगण

विरूद्ध

1– राजेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत
निवासी 124 शिवाजी पार्क कॉलौनी
देवास रोड उज्जैन
2–' सुशीलाबाई विधवा मुकेश रघुवंशी
निवासी ग्राम सुमराखेड़ा
तहसील तराना जिला उज्जैन
3' शान्ताबाई विधवा सरदारसिंह राजपूत
निवासी ग्राम सुमराखेड़ा
तहसील तराना जिला उज्जैन
हाल मुकाम बिरला ग्राम
नागदा जंक्शन जिला उज्जैन
4– सुधीर पिता सरदारसिंह रघुवंशी
निवासी बिरला ग्राम
नागदा जंक्शन जिला उज्जैन ....अनावेदकगण

श्री लाखन सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0एस0 कुरैशी, अभिषक, अनावेदक कमांक 1

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, तराना जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–6–16 एवं 10–6–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं किअनावेदक क्रमांक 1 ने तहसीलदार, तराना जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/अ–6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 6–2–2015 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, तराना जिला उज्जैन के समक्ष दिनांक 3–3–16 को विलम्ब से प्रस्तुत की । चूंकि प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/अपील/15–16 दर्ज कर दिनांक 9–6–16 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया एवं आवेदकगण सहित अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत संहिता की धारा 32 एवं 48 के आवेदन पत्र निरस्त किये गये । तदोपरांत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–6–16 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र पुनः स्वीकार किया जाकर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये गये । अनुविभागीय अधिकारी के इन्हीं आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 9–6–16 को आदेश पारित करने में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है एवं दिनांक 10–6–16 को आदेश पारित करने में पूर्व आदेश दिनांक 9–6–16 को दोहराया गया है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अति संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित कर विलम्ब क्षमा किया गया है, जो कि उचित

कार्यवाही नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विवादित आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है, और न ही सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत नही किये जाने की अनुमति हेतु संहिता की धारा 48 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 के नकल हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह टीप अंकित नहीं है कि प्रकरण कमांक 40/अ–6/11–12 में दिनांक 6–2–15 की आदेशिका संलग्न नहीं की है, इस ओर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना विचार किये विलम्ब माफ करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 का आवेदन पत्र बिना किसी कारण के निरस्त किया गया है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया । तर्कों के समर्थन में 2002 आर.एन. 254, 1995 आर.एन. 306 एवं 2003 आर.एन. 183 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी विलम्ब क्षमा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्रों एवं तर्कों को विचार में लिया जाकर ही आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 का अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने का कोई कारण आदेश में नहीं दर्शाया गया है कि किन परिस्थितियों में प्रकरण में विलम्ब क्षमा किया जाना औचित्यपूर्ण है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश बोलता हुआ आदेश की परिधि में नहीं आता है । अनुविभागीय अधिकारी का यह विधिक कर्त्तव्य था कि वे उभयपक्ष को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये सकारण विस्तृत आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर निर्णय लेते । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की

धारा 48 का आवेदन पत्र स्वीकार करने का भी आधार अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है, जबकि उन्हें इस स्थिति पर विचार करना चाहिये था कि वास्तव में अनावेदक कमांक 1 के काफी प्रयास के उपरांत भी तहसीलदार के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त नहीं हो रही है । इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 9–6–16 एवं 10–6–16 निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये अवधि विधान की धारा 5 एवं संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्रों के संबंध में विधि अनुरूप आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, तराना जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–6–16 एवं 10–6–16 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर